बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

ज्ञा० 6/ल०ज०स० (स्था०) 03/2016 3228 / पटना, दिनांक:-- 28.7.17

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, **लघु जल संसाधन विभाग** के लेखा लिपिकों की सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

1 संक्षिप्त नाम, **विस्तार एवं प्रारंभ–(1)** यह नियमावली लघु जल संसाधन विभाग "लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2017" कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ-- इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो--

(i) "विभाग" से अभिप्रेत है **लघु जल संसाधन विभाग**, बिहार सरकार ;

(ii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है **लघु जल संसाधन विभाग** के अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा लिपिक संवर्ग;

(iii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

(v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग पटना अथवा **लघु जल संसाधन विभाग** द्वारा प्राधिकृत मुख्य अभियंता से अन्यून कोई पदाधिकारी ।

(vi) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि ;

(vii) "कोटि" से अभिप्रेत है नियमावली में विनिर्दिष्ट कोटि ;

(viii) "संलग्न कार्यालय" से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता क्षेत्र के संबंधित ऐसे सभी कार्यालय;

3 संवर्ग की संरचना-- लेखा लिपिक संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी:--

पदनाम	कोटि
कनीय लेखा लिपिक	मूल कोटि
वरीय लेखा लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
प्रधान लेखापाल	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

इस संवर्ग में विभिन्न पदसोपानों पर वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर [illegible] की जाय ।

4. संवर्ग बल यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर संवर्गबल [illegible] किया जा सकेगा ।

5. सवर्ग **का स्वीकृत बल–** संवर्ग के स्वीकृत बल का आवश्यकतानुसार, समय–समय पर, परिक्षेत्रवार पुनर्निर्धारित प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा किन्तु प्रत्येक प्रक्षेत्र में नियत तिथि को संवर्ग के स्वीकृत बल में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक का पद 2:1 के अनुपात में होगा। जिसमें कार्यरत बल सम्मिलित होगा ।

6. भर्ती–(1) कनीय लेखा लिपिक कोटि के पद पर सीधी भर्ती प्राधिकृत बल के आधार पर, आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी । कनीय लेखा लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा तथा 15% पद इंटरमीडिएट (10+2) (गणित अथवा वाणिज्य अथवा विज्ञान विषय के साथ) उत्तीर्णता के साथ कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान योग्यताधारी सुपात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से वरीयता के आधार पर भरा जायेगा । सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा ।

(2) सभी भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर कनीय लेखा लिपिक की कोटि में की जायेगी ।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रील के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा तथा 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना भेज देगा ।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा तथा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यार्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा । मेधासूची की वैधता, विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी ।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यार्थियों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर करेगा ।

7. **शैक्षणिक अर्हता** कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता गणित या विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय के साथ राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होगा साथ ही कम्प्यूटर में D.C.A (DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION) कोर्स की योग्यता रखना भी आवश्यक होगा ।

8. आरक्षण नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा ।

9. उम्र सीमा कनीय लेखा लिपिक कोटि में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आयोग को प्रेषित अधियाचना के वर्ष पहली अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय–समय पर निर्धारित की जाय ।

सरकारी सेवकों के लिए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे, अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा विनिश्चित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार होगा ।

10. पाठ्यक्रम नियम 6 के उप नियम (3) की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं पाठ्यक्रम वही होंगे जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा विनियमावली के माध्यम से विनिश्चित की जाएगी।

11. **परिवीक्षा अवधि**–कनीय लेखा लिपिक के पद पर कोई भी नियुक्ति प्रारंभ में परिवीक्षा पर होगी । परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी और परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर उसे एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

12. **प्रशिक्षण**– परिवीक्षा अवधि में कनीय लेखा लिपिक के लिए विभाग द्वारा विहित प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा।

13.**विभागीय परीक्षा**–विभागीय लेखा परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी ।

14. **सम्पुष्टि**– कनीय लेखा लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने, राजस्व पर्षद, बिहार पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा/लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

15. **वरीयता**–संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित उनकी मेधा क्रम के अनुसार होगी, परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी, नियुक्ति की तिथि समान होने पर पूर्व के जन्म तिथि वाले कर्मी वरीय माने जायेंगे ।

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी उन कर्मियों से कनीय होंगे, जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त अथवा प्रोन्नत किये गये हो ।

16. **सम्वर्गीय प्रोन्नति–(1)** वरीय लेखा लिपिक के लिए कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदो के विरूद्ध प्रोन्नति विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात् दी जा सकेगी ।

(2) वरीय लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मी को रिक्ति के अनुसार प्रधान लेखापाल के पद पर प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा उनकी पारस्परिक वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।

(3) प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चत कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा ।

17 प्रोन्नति **समिति**–विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी:

(क)	मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)		अध्यक्ष
(ख)	विभाग द्वारा नामित एक अधीक्षण अभियंता	–	सदस्य
(ग)	अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का एक पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ)	विभाग में क्षेत्रीय स्थापना के प्रशाखा पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

18. प्रकीर्ण-(1) **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील**:– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय--समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लेखा लिपिक संवर्ग के अनुशासन, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील संबंधी मामलों में लागू होंगे ।

(2) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्तों के संबंध में संवर्ग के सदस्य बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होंगी ।

(3) इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, विभाग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन हो ।

19. निर्वचन जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो, वहाँ मामला विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विनिश्चित अंतिम होगा

20. निरसन एवं व्यावृत्ति–(1) इस संदर्भ में पूर्व निर्गत नियमों/विनियमों को एदत् द्वारा निरस्त किए जाते हैं। (2) परन्तु इस निरसन के होते हुए भी वर्तमान नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गई कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त था जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।
/पटना,दिनांकः–

ज्ञापांक प्र0 6/ल0जा0सं0 (स्था0)–03/2016

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ (द्वारा आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग) राज पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
अनु0 यथोक्त ।

ह0/–
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।
/पटना,दिनांकः–

ज्ञापांक प्र0 6/ल0जा0सं0 (स्था0)–03/2016

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।
/पटना,दिनांकः– 28-7-17

ज्ञापांक प्र0 6/ल0जा0रा0 (स्था0)–03/2016 3228

प्रतिलिपि: आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

27-7-2017
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।
27.7.17

Government of Bihar

Minor Water resources Department

F. No:-Sec-6/M.W.R/establishment-03/16 3228 Date, Patna 28.7.17

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred under proviso of Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is here by Pleased to make the following rules to regulate the service conditions of Accounts Clerks of the minor water resources department:-

1. **Short title, extend and commencement** (1)These rules may be called the minor water resources department accounts Clerk Cadre rules 2017.

   (2) It will extend to the whole of the state of Bihar.

   (3) It will Come into force at once

2. **Definitions:-**

   (i) **"Department" means** minor water resources department Government of Bihar .

   (ii) **"Cadre" means** accounts Clerk Cadre of the minor Water Resources Department;

   (iii) **"Government" means** The goverment of Bihar;

   (iv) **"Commission" means** Bihar Staff Selection Commission;

   (v) **"Appointing authority" means** Chief Engineer (Planning + Monitoring+ Underground) Minor Water Resources Department. Bihar Patna or, any other officer not below the rank of Chief engineer as authorised by the Minor Water Resources Department.

   (vi) **"Prescribed date"** means the date of coming into force of these Rules;

   (vii) **"Category"** means Categories defined in these Rules;

   (viii) **"Attached offices"** means all offices under Chief engineer Zone.

3. **Structure of cadre:-** Cadre structure of the accounts clerk shall be as under:-

Name of posts	Categories
Junior accounts Clerk	Basic category
Senior accounts Clerk	1st Promotion Level
Head accountant	2nd Promotion Level

Pay and allowances of different posts in this cadre shall be payable the same may be determined by the state government from time to time.

4. **Cadre Strength:** -This cadre shall be of state level and the Cadre Strength may be determined by the Minor Water Resources Department from time to time.

5. **Sanction Post of Cadre:-**The sanction strenghth of cadre shall be re determined Zone wise by the administrative department from time to time with the consultation of finance Department as per necessity, but in each Zone, on prescribed date ratio of the Posts of junior accounts Clerk and Senior accounts clerk shall be 2:1 in which working strength shall be encluded.

6. **Recruitment: -(1)** Direct appointment to the post of junior Accounts clerk shall be through the competitive examination conduted by the Bihar staff Selection Commission on the basis of authorized strength. 85% posts of junior accounts Clerk shall be filled by direct Recruitment and the 15% Posts shall be filled up amongst the eligible group 'D' employee having Qualification of intermediate (10+2) (Math or Commerce. Or Science Subject) along with knowledge of Computer Operation & Computer typing on the basis of seniority. Out of 85% Post of direct recruitment 10% Posts shall be reserved for appointment on compassionate ground.

(2) All recruitment shall be in the category of junior accounts clerks on the recommendation of Bihar staff selection commission.

(3) The Appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April of each year and send the requisition to commission by 30th April of that year.

(4) The commission shall advertise the vacancies and after selecting the successful Candidates on the basis of competitive examination , shall recommend the names of Candidates in order of their merit to the appointing authority. The merit list shall remain valid for one year from the date of receipt of recommendation in the Department.

(5) After due scrutiny, the appointing authority shall appoint the candidates for two years on Probation.

7. **Educational Qualification:-**The minimum educational qualifications for appointment to the Post of Junior accounts Clerks shall be intermediate (10+2) in Math or Science or Economics or commerce or Statistics from recognized Board / University of the State Government or the Central Government along with Diploma in computer application (DCA) course.

8. **Reservation**: - It shall be necessary to comply the provisions of reservation roster in the recruitment and promotion as notified by the state government, form time to time.

9. **Age Limit**: - Age of candidates for appearing in the competitive examination of Junior accounts clerks shall not be Less than 18 years as on 1st of August of that year in which requisition sent to commission. Maximum age shall remain same as may be determined by the State Government (General Administration Department) reservation cetegory wise from time to time.

The maximum age limit for government empleyees, willing to appear in this Competitive Examination shall be in accordance with the maximum age-limit determined by the State Government (General Administration Department).

10. **Syllabus**: -The educational qualifications and syllabus for vacancies under sub rule (3) of Rule 6 for Competitive examination shall be the same as may be determined by the Minor Water Resources Department through regulations in the light of the provisions of Bihar Staff Selection Commission Examination Conduct Rules.

11. **Probation Period**: - Initially each recruitment to the posts of junior Account clerks shall be made on Probation. Probation Period will be for two years and it may be extended for one year if the service is not satisfactory in the Probation period . if Service not found satisfactory in the said period the Probationer may be removed from service.

12. **Training: -** It shall be necessary for the Junior Accounts Clerks to Participate in training in the Probation Period prescribed by the department.

13. **Departmental examination:-**Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue Bihar.

14. **Confirmation:-** Any person appointed to the junior accounts Clerk category on Probation shall be confirmed by the appointing authority after satisfactory Completion of Probation period, passing of examination/ accounts examination Conducted by the Board of Revenue Bihar Patna & Passing of the Computer Eligibility test Examination.

15. **Seniority: -** inter-se-seniority of the members of this cadre shall be in accordance with their merit-order determined by the Commission, but the inter-Se-seniority of the members appointed Prior to coming into force of these Rules shall be determined by their dates of appointments. If the date of appointment is the same, the employee having earlier date of birth shall be treated as senior.

Provided that the employee appointed on compassionate ground in a recruitment year shall be Junior to the persons who have been appointed on the basis of the Competitive Examination or by way of Promotion in the concerned recruitment year.

16. **Cadre Promotion: - (1)** Promotion against the vacant posts out of total sanction Posts of Senior Accounts Clerk shall be given on the basis of passing in the Departmental Accounts Examination, after recommendation of the departmental Promotion Committee.

(2) Promotion to the Post of Head Accountant shall be given to the Senior Accounts Clerk according to vacancy by the Departmental Promotion Committee constituted for this Purpose on the basis of their Inter-Se-Seniority.

(3) It will be compulsory to complete the KALAWADHI determined by the General Administrative Department for promotion from time to time.

17. **Promotion Committee: -** Departmental Promotion Committee shall be constitued as follows:-

(a) Chief engineer (planning + Monitoring + undergroud) - Chairman

(b) Superintending Engineer, nominated by the department - Member

(c) An officer of Schedule castes/ sehedule tribes nominated by the chairman - Member

(d) Section officer of field establishment in the department - Member Secretary

18. **Miscellaneous:-**(1) Discipline/control and appeal provisions of Bihar Government Servant Discipine Control and Appeal Rules 2005 (as ammended from time to time) shall be applicable to the matters relating to discipline, control of the Accounts Clerks Cadre.

(2) With respect to Service Conditions which are not specially covered by these Rules, the members of this cadre shall be governed by the Bihar service code and the other decisions issued by the State Goverment , from time to time.

(3) If any difficulties arises in implementation of any provision of these rules the department after consultation with the Law Department, by order published in the official gazatte, shall make such provision which is not inconsistent with provisions of these Rules and is necessary and expedient for removal of difficulties .

19. **Interpretation:-** Where any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these rules, the matter shall be determind by the department after consultation with the law department and its decision shall be final.

20. **Repeals and savings:-** (1) Rules and regulation issued earlier in this context are hereby repeald.

(2) Not withstanding such repeal any work done or any action taken under the said rules and regulation shall deemed to be done or taken under these rules as if these rules were in force on the date on which such work was done or actions were taken.

by the order of the governer Bihar

Sd/-
sudhir kumar
Principal Secretary,
Minor water Resources Department.

d:\t\5 p k\alkh deo\notification\l no sec 6 3 16 5 5 17.docx

Memo No- Sec. 06/ MWRD(estb)-3/16 3228 Patna, Dated 28-7-1

Copy:- forwarded to nodal officer e- gazette cell Finance department Bihar Patna with a CD (through IT manager, Minor Water Resources Department) for Publication in e Gazette.

encl:- as above

27.7.2017

Principal Secretary,
Minor water Resources Department.

27.7.17

d:\tc 5 p k\alkh deo\notification\f. no sec-6-3-16 - 5-5-17.docx

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

प्र0 6/ल0जा0स (स्था0)-03/2016 3228 /पटना, दिनांकः- 28.7.17

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, **लघु जल संसाधन विभाग** के लेखा लिपिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-(1)** यह नियमावली लघु जल संसाधन विभाग "लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2017" कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ- इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) **"विभाग"** से अभिप्रेत है **लघु जल संसाधन विभाग**, बिहार सरकार ;

(ii) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है **लघु जल संसाधन विभाग** के अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा लिपिक संवर्ग;

(iii) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(iv) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

(v) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग पटना अथवा **लघु जल संसाधन विभाग** द्वारा प्राधिकृत मुख्य अभियंता से अन्यून कोई पदाधिकारी ।

(vi) **"नियत तिथि"** से अभिप्रेत है नियमावली के प्रवृत होने की तिथि ;

(vii) **"कोटि"** से अभिप्रेत है नियमावली में विनिर्दिष्ट कोटि ;

(viii) **"संलग्न कार्यालय"** से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता क्षेत्र के संबंधित ऐसे सभी कार्यालय;

3. सवर्ग की संरचना- लेखा लिपिक संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी:-

पदनाम	कोटि
कनीय लेखा लिपिक	मूल कोटि
वरीय लेखा लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
प्रधान लेखापाल	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

इस संवर्ग में विभिन्न पदसोपानों पर वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय ।

4. संवर्ग बल यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर संवर्गबल अवधारित किया जा सकेगा ।

5. **संवर्ग का स्वीकृत बल**– संवर्ग के स्वीकृत बल का आवश्यकतानुसार, समय–समय पर, परिक्षेत्रवार [illegible] प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा किन्तु प्रत्येक प्रक्षेत्र में नियत तिथि को संवर्ग के स्वीकृत बल में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक का पद 2:1 के अनुपात में होगा। जिसमें कार्यरत बल सम्मिलित होगा ।

6. भर्ती (1) कनीय लेखा लिपिक कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती प्राधिकृत बल के आधार पर, आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी । कनीय लेखा लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा तथा 15% पद इंटरमीडिएट (10+2) (गणित अथवा वाणिज्य अथवा विज्ञान विषय के साथ) उत्तीर्णता के साथ कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान योग्यताधारी सुपात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से वरीयता के आधार पर भरा जायेगा । सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा ।

(2) सभी भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर कनीय लेखा लिपिक की कोटि में की जायेगी ।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रील के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा तथा 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना भेज देगा ।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा तथा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यार्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा । मेधासूची की वैधता, विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी ।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यार्थियों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर करेगा ।

7. **शैक्षणिक अर्हता** कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता गणित या विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय के साथ राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होगा साथ ही कम्प्यूटर में D.C.A (DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION) कोर्स की योग्यता रखना भी आवश्यक होगा ।

8. आरक्षण नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा ।

9. उम्र सीमा कनीय लेखा लिपिक कोटि में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आयोग को प्रेषित अधियाचना के वर्ष पहली अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय–समय पर निर्धारित की जाय ।

सरकारी सेवकों के लिए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे, अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा विनिश्चित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार होगा ।

10. पाठ्यक्रम नियम 6 के उप नियम (3) की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं पाठ्यक्रम वही होंगे जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा विनियमावली के माध्यम से विनिश्चित की जाएगी।

11. **परिवीक्षा अवधि**–कनीय लेखा लिपिक के पद पर कोई भी नियुक्ति प्रारंभ में परिवीक्षा पर होगी । परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी और परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर उसे एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

12. प्रशिक्षण– परिवीक्षा अवधि में कनीय लेखा लिपिक के लिए विभाग द्वारा विहित प्रशिक्षण मे भाग लेना आवश्यक होगा।

13.विभागीय परीक्षा–विभागीय लेखा परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी ।

14. सम्पुष्टि– कनीय लेखा लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने, राजस्व पर्षद, बिहार पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा/लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

15. वरीयता–संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित उनकी मेधा क्रम के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी, नियुक्ति की तिथि समान होने पर पूर्व के जन्म तिथि वाले कर्मी वरीय माने जायेंगे ।

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी उन कर्मियों से कनीय होंगे, जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त अथवा प्रोन्नत किये गये हो ।

16. सम्वर्गीय प्रोन्नति–(1) वरीय लेखा लिपिक के लिए कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदो के विरूद्ध प्रोन्नति विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात् दी जा सकेगी ।

(2) वरीय लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मी को रिक्ति के अनुसार प्रधान लेखापाल के पद पर प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा उनकी पारस्परिक वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।

(3) प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चत कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा ।

17. प्रोन्नति समिति–विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी:–

(क)	मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)	--	अध्यक्ष
(ख)	विभाग द्वारा नामित एक अधीक्षण अभियंता		सदस्य
(ग)	अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का एक पदाधिकारी	--	सदस्य
(ध)	विभाग में क्षेत्रीय स्थापना के प्रशाखा पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव

18. प्रकीर्ण–(1) अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील:– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लेखा लिपिक संवर्ग के अनुशासन, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील संबंधी मामलों में लागू होंगे ।

(2) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्तों के संबंध में संवर्ग के सदस्य बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होंगी ।

(3) इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, विभाग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन हो ।

19. निर्वचन जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो, वहाँ मामला विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विनिश्चित अंतिम होगा।

20. निरसन एवं व्यावृति—(1) इस संदर्भ में पूर्व निर्गत नियमों/विनियमों को एदत् द्वारा निरस्त किए जाते हैं। (2) परन्तु इस निरसन के होते हुए भी वर्तमान नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गई कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक प्र0 6/ल0जा0सं0 (स्था0)—03/2016 3228 /पटना,दिनांकः— 28.7.17

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी ई—गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ (द्वारा आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग) राज पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध सहित ।

27.7.2017

प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।

27.7.17

Government of Bihar

Minor Water resources Department

F. No:-Sec-6/M.W.R/establishment-03/16 3228 Date, Patna 28-7-17

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred under proviso of Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is here by Pleased to make the following rules to regulate the service conditions of Accounts Clerks of the minor water resources department:-

1. **Short title, extend and commencement** (1)These rules may be called the minor water resources department accounts Clerk Cadre rules 2017.

   (2) It will extend to the whole of the state of Bihar.

   (3) It will Come into force at once

2. **Definitions:-**

   (i) **"Department" means** minor water resources department Government of Bihar .

   (ii) **"Cadre" means** accounts Clerk Cadre of the minor Water Resources Department;

   (iii) **"Government" means** The goverment of Bihar;

   (iv) **"Commission" means** Bihar Staff Selection Commission;

   (v) **"Appointing authority" means** Chief Engineer (Planning + Monitoring+ Underground) Minor Water Resources Department. Bihar Patna or, any other officer not below the rank of Chief engineer as authorised by the Minor Water Resources Department.

   (vi) **"Prescribed date"** means the date of coming into force of these Rules;

   (vii) **"Category"** means Categories defined in these Rules;

   (viii) **"Attached offices"** means all offices under Chief engineer Zone.

3. **Structure of cadre:-** Cadre structure of the accounts clerk shall be as under:-

Name of posts	Categories
Junior accounts Clerk	Basic category
Senior accounts Clerk	1st Promotion Level
Head accountant	2nd Promotion Level

Pay and allowances of different posts in this cadre shall be payable the same may be determined by the state government from time to time.

4. **Cadre Strength:** -This cadre shall be of state level and the Cadre Strength may be determined by the Minor Water Resources Department from time to time.

5. **Sanction Post of Cadre:-**The sanction strenghth of cadre shall be re determined Zone wise by the administrative department from time to time with the consultation of finance Department as per necessity, but in each Zone, on prescribed date ratio of the Posts of junior accounts Clerk and Senior accounts clerk shall be 2:1 in which working strength shall be encluded.

6. **Recruitment**: -**(1)** Direct appointment to the post of junior Accounts clerk shall be through the competitive examination conduted by the Bihar staff Selection Commission on the basis of authorized strength. 85% posts of junior accounts Clerk shall be filled by direct Recruitment and the 15% Posts shall be filled up amongst the eligible group 'D' employee having Qualification of intermediate (10+2) (Math or Commerce. Or Science Subject) along with knowledge of Computer Operation & Computer typing on the basis of seniority. Out of 85% Post of direct recruitment 10% Posts shall be reserved for appointment on compassionate ground.

(2) All recruitment shall be in the category of junior accounts clerks on the recommendation of Bihar staff selection commission.

(3) The Appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April of each year and send the requisition to commission by 30th April of that year.

(4) The commission shall advertise the vacancies and after selecting the successful Candidates on the basis of competitive examination , shall recommend the names of Candidates in order of their merit to the appointing authority. The merit list shall remain valid for one year from the date of receipt of recommendation in the Department.

(5) After due scrutiny, the appointing authority shall appoint the candidates for two years on Probation.

7. **Educational Qualification:-**The minimum educational qualifications for appointment to the Post of Junior accounts Clerks shall be intermediate (10+2) in Math or Science or Economics or commerce or Statistics from recognized Board / University of the State Government or the Central Government along with Diploma in computer application (DCA) course.

8. **Reservation**: - It shall be necessary to comply the provisions of reservation roster in the recruitment and promotion as notified by the state government, form time to time.

9. **Age Limit**: - Age of candidates for appearing in the competitive examination of Junior accounts clerks shall not be Less than 18 years as on 1st of August of that year in which requisition sent to commission. Maximum age shall remain same as may be determined by the State Government (General Administration Department) reservation cetegory wise from time to time.

The maximum age limit for government empleyees, willing to appear in this Competitive Examination shall be in accordance with the maximum age-limit determined by the State Government (General Administration Department).

10. **Syllabus**: -The educational qualifications and syllabus for vacancies under sub rule (3) of Rule 6 for Competitive examination shall be the same as may be determined by the Minor Water Resources Department through regulations in the light of the provisions of Bihar Staff Selection Commission Examination Conduct Rules.

11. **Probation Period**: - Initially each recruitment to the posts of junior Account clerks shall be made on Probation. Probation Period will be for two years and it may be extended for one year if the service is not satisfactory in the Probation period . if Service not found satisfactory in the said period the Probationer may be removed from service.

12. **Training: -** It shall be necessary for the Junior Accounts Clerks to Participate in training in the Probation Period prescribed by the department.

13. **Departmental examination:-**Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue Bihar.

14. **Confirmation:-** Any person appointed to the junior accounts Clerk category on Probation shall be confirmed by the appointing authority after satisfactory Completion of Probation period, passing of examination/ accounts examination Conducted by the Board of Revenue Bihar Patna & Passing of the Computer Eligibility test Examination.

15. **Seniority: -** inter-se-seniority of the members of this cadre shall be in accordance with their merit-order determined by the Commission, but the inter-Se-seniority of the members appointed Prior to coming into force of these Rules shall be determined by their dates of appointments. If the date of appointment is the same, the employee having earlier date of birth shall be treated as senior.

Provided that the employee appointed on compassionate ground in a recruitment year shall be Junior to the persons who have been appointed on the basis of the Competitive Examination or by way of Promotion in the concerned recruitment year.

16. **Cadre Promotion: - (1)** Promotion against the vacant posts out of total sanction Posts of Senior Accounts Clerk shall be given on the basis of passing in the Departmental Accounts Examination, after recommendation of the departmental Promotion Committee.

(2) Promotion to the Post of Head Accountant shall be given to the Senior Accounts Clerk according to vacancy by the Departmental Promotion Committee constituted for this Purpose on the basis of their Inter-Se-Seniority.

(3) It will be compulsory to complete the KALAWADHI determined by the General Administrative Department for promotion from time to time.

17. **Promotion Committee: -** Departmental Promotion Committee shall be constitued as follows:-

(a) Chief engineer (planning + Monitoring + undergroud) - Chairman

(b) Superintending Engineer, nominated by the department - Member

(c) An officer of Schedule castes/ sehedule tribes nominated by the chairman - Member

(d) Section officer of field establishment in the department - Member Secretary

18. **Miscellaneous:-**(1) Discipline/control and appeal provisions of Bihar Government Servant Discipine Control and Appeal Rules 2005 (as ammended from time to time) shall be applicable to the matters relating to discipline, control of the Accounts Clerks Cadre.

(2) With respect to Service Conditions which are not specially covered by these Rules, the members of this cadre shall be governed by the Bihar service code and the other decisions issued by the State Goverment , from time to time.

(3) If any difficulties arises in implementation of any provision of these rules the department after consultation with the Law Department, by order published in the official gazatte, shall make such provision which is not inconsistent with provisions of these Rules and is necessary and expedient for removal of difficulties .

19. **Interpretation:-** Where any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these rules, the matter shall be determind by the department after consultation with the law department and its decision shall be final.

20. **Repeals and savings:-** (1) Rules and regulation issued earlier in this context are hereby repeald.

(2) Not withstanding such repeal any work done or any action taken under the said rules and regulation shall deemed to be done or taken under these rules as if these rules were in force on the date on which such work was done or actions were taken.

by the order of the governer Bihar

Sd/-
sudhir kumar
Principal Secretary,
Minor water Resources Department.

21

Memo No- Sec. 06/ MWRD(estb)-3/16 Patna, Dated

Copy:- forwarded to nodal officer e- gazette cell Finance department Bihar Patna with a CD (through IT manager, Minor Water Resources Department) for Publication in e Gazette.

encl:- as above

Sd/-
Principal Secretary,
Minor water Resources Department.

Memo No- Sec. 06/ MWRD(estb)-3/16 Patna, Dated

Copy:- Forwarded to Accountant General, Bihar Patna/ Finance deptt Bihar patna/ secretary Bihar legeslative Assembly/ Bihar legeslative council/ Governor Secretariate/ Chief Minister Secretariate / Secretary Bihar State staff selection Commission, Patna for kind information & necessary action.

Sd/-
Principal Secretary,
Minor water Resources Department.

Memo No- Sec. 06/ MWRD(estb)-3/16 3228 Patna, Dated 28.7.17

Copy:- forwarded to IT manager, Minor Water Resources Department, Patna for kind information and necessary action.

27.7.2017

Principal Secretary,

27.7.17

d:\S.S.p.K\aikh deo\notification\f. no sec 6 3 16 5 5 17.docx